24/04/26

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला – रीवा (म0प्र0)

जिले में **उच्च कुशल / कुशल / अर्द्धकुशल / अकुशल** मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिये आउटसोर्स एजेंसी के चयन हेतु ई–निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा प्रक्रिया विवरण

1	निविदा दस्तावेज ऑनलाईन क्रय हेतु उपलब्धता	शासकीय निविदा प्रपत्र का मूल्य प्रत्येक निविदा के लिए अलग–अलग राशि 15000/– (पंद्रह हजार मात्र) है जो ई–टेण्डर https://mptenders.gov.in पर देय होगा ।
3	ऑनलाईन निविदा जारी करने की दिनांक एवं समय	12 मई 2026 समय 3बजे दोपहर
4	ऑनलाईन निविदा क्रय करने की अंतिम दिनांक एवं समय	01 जून 2026 समय शाम 5बजे से
5	ऑनलाईन निविदा जमा करने की अंतिम दिनांक एवं समय	01 जून 2026 समय शाम 5बजे तक
6	तकनीकी निविदा ऑनलाईन खोले जाने की दिनांक एवं समय	02 जून 2026 समय शाम 6बजे
7	वित्तीय निविदा ऑनलाईन खोले जाने की दिनांक एवं समय	तकनीकी निविदा खुलने के उपरांत बाद में निर्धारित होगी ।

नोट :– ऑनलाईन निविदा में अपलोड किये जाने वाले समस्त दस्तावेज, स्पष्ट पठनीय होना आवश्यक है। दस्तावेज पठनीय नहीं होने पर यदि निविदा निरस्त होती है तो विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

(डॉ.यत्नेश त्रिपाठी)
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला रीवा म.प्र.

24.4.26

	2. जीएसटीआर–9 रिटर्न वित्तीय वर्ष 2022–23,2023–24 एवं 2024–25 का छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा।
	3. ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई.सी. के बैंक डिपोजिट चालान माह जनवरी,फरवरी,मार्च 2026 का संलग्न करना अनिवार्य होगा।
	4. Labour Welfare Board में आउटसोर्स मानव संसाधन उपलब्ध कराने संबंधी एक वित्तीय वर्ष में 500 मानव संसाधन हेतु शुल्क जमा करने के दस्तावेज संलग्न करें।
	5. निविदाकार को वित्तीय वर्ष 2022–23,2023–24 एवं 2024–25 के ऑडिटेड बैंलेंस शीट संलग्न करना अनिवार्य होगा।
	6. निविदाकार को निविदा के साथ 3 करोड की बैंक सालवेंसी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
	7. निविदाकार को सी.ए. द्वारा जारी फर्म/संस्था/डायरेक्टर/प्रोपाइटर/पार्टनर का नेटवर्थ प्रमाण–पत्र वित्तीय वर्ष 2025–26 का निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।

नोटः–निविदाकर्ता को उक्त दस्तावेज ई–निविदा में सलंग्न किया जाना अनिवार्य होगा ।

–निविदा शर्ते–

3. निविदाकर्ता को जिले के कार्यालयों हेतु लगभग 700 उच्च कुशल/कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल, (डाटा एण्ट्री आपरेटर/केयर टेकर/कुक/ सुरक्षाकर्मी/ड्राइवर/मल्टी स्किल्ड वर्कर/भृत्य/सपोर्ट स्टाफ) इत्यादि उपलब्ध कराने होगें। जिनकी संख्या आवश्यकतानुसार घटाई–बढ़ाई जा सकेगी।
4. निविदाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये समस्त उच्च कुशल/कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल मानव संसाधन श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश अनुसार उपलब्ध कराने होगें। साथ ही श्रमायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश एवं श्रम कार्यालय के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।
5. निविदाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे सभी उच्च कुशल/कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल मानव संसाधन का विधिवत पंजीयन अपने कार्यालय में करना होगा एवं कर्मचारियों की सूची बायोडाटा, फोटो, आधार कार्ड, पुलिस सत्यापन रिपोर्ट,मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र सहित समस्त दस्तावेज अनुबंध के 15 दिवस में कार्यालय में उपलब्ध करवानी होगी।
6. सभी उच्च कुशल/कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल मानव संसाधन शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिये एवं उनका व्यवहार सौम्य एवं मधुर होना चाहिये। कोई भी श्रमिक संदेहास्पद चरित्र का नहीं होना चाहिए। ऐसा पाये जाने पर उसकी सेवा समाप्त करना निविदाकर्ता के लिये अनिवार्य होगा।
7. निविदाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये उच्च कुशल/कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल मानव संसाधन को आदेशित स्थान शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर पर कार्य करना होगा।
8. निविदाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये उच्च कुशल/कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल को कार्यालय की विभिन्न शाखाओं में पदस्थ अधिकारीयों द्वारा निर्देशित समस्त कार्य पूरी ईमानदारी एव निष्ठापूर्वक करना होगे, शाखा की गोपनीयता भंग नही करेंगे, ऐसा पाये जाने पर निविदाकर्ता को तुरन्त ही उसकी सेवा समाप्त करना होगी।
9. सफल निविदाकार को फर्म/संस्था का मुख्यालय अथवा शाखा कार्यालय जिला रीवा/मऊगंज में अनुबंध के पूर्व बनाया जाना अनिवार्य होगा।
10. निविदाकर्ता द्वारा प्रत्येक माह निर्धारित कलेक्टर दर पर उच्च कुशल/कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल मानव संसाधन को दैनिक न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार भुगतान ई–पेमेंन्ट के माध्यम से आधार लिंक बैंक खाता में करना होगा। परिश्रामिक हेतु पूर्ण माह की गणना माह की 01 तारीख से 31 तारीख तक नियत होंगी।
11. निविदाकर्ता को उसके द्वारा नियुक्त किये गए समस्त कर्मचारी को कलेक्टर जिला रीवा/मऊगंज द्वारा जारी न्यूनतम मजदूरी दर के दिशा निर्देश का पालन द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।
12. निविदाकर्ता को उच्च कुशल/कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल मानव संसाधन के EPF की कटोत्रा राशि (नियोक्ता/कर्मचारी) एवं ESIC कटोत्रा राशि (नियोक्ता) को एवं अन्य सम्बंधित कटोत्रा राशि को प्रतिमाह समय अवधि में सम्बंधित कार्यालय में जमा कराने का दायित्व निविदाकर्ता का होगा।प्रत्येक माह के भुगतान देयक के साथ कर्मचारियों की उपस्थिति सूची, कर्मचारियों का ESIC, EPF (UAN) नम्बर, ECR कटोत्रा राशि एवं बैंक खाता कमांक में कर्मचारीयों के भुगतान की प्रति कार्यालय में उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा।
13. निविदाकर्ता को समस्त मानव संसाधन (उच्च कुशल/कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल)का वेतन भुगतान माह की 05 तारीख तक आवश्यक रूप से किया जाना होगा। विभाग से भुगतान प्राप्त न होने अथवा विलम्ब की स्थिति में कर्मचारियों को कार्य आधारित भुगतान करने का पूर्ण दायित्व निविदाकर्ता का होगा। यदि निविदाकर्ता द्वारा शर्तो का पालन नही किया जाता है तो निविदाशर्तो का उलंघन

मानते हुए देयक मे से 15000/–रूपये प्रतिमाह की पेनाल्टी एवं आउटसोर्स कर्मी को 12 प्रतिशत ब्याज की दर से पारिश्रमिक राशि मे से अतिरिक्त भुगतान निविदाकर्ता को करना अनिवार्य होगा।

14. निविदाकर्ता को कार्यरत कर्मचारियों का सत्यापित उपस्थिति पत्रक(ई–अटेडेंस अथवा विभाग द्वारा निर्देशित माध्यम) भुगतान देयक के साथ प्रस्तुत करना होगा। निविदाकर्ता को मासिक आधार पर देयक 2 प्रतियों में स्वीकृत दर एवं अन्य कर सहित प्रत्येक माह की 5 तारीख (कार्य दिवस) तक कार्यालय में भुगतान हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
15. निविदाकर्ता द्वारा कर्मचारियों के वेतन अनुसार प्रतिमाह, भविष्य निधि, ई.एस.आई.सी. की राशि कम जमा अथवा जमा नहीं किये जाने की शिकायत पाये जाने पर निविदाकर्ता को अपने स्तर पर निराकरण करना होगा, यदि निविदाकर्ता द्वारा निराकरण नहीं किया जाता है तो निविदाकर्ता के विरूद्व अनुशासत्मक कार्यवाही करते हुये अनुबंध निरस्त कर परफॉरमेंस राशि राजसात कर ली जावेगी।
16. निविदाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये उच्च कुशल/कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल मानव संसाधन के दुर्धटना/बीमारी/ चिकित्सा से सम्बंधित क्लेम एवं अन्य विवादों के निराकारण का संपूर्ण दायित्व निविदाकर्ता का होगा।
17. निविदाकार को GST का भुगतान शासन द्वारा निर्धारित दर के अनुसार पृथक से देय होगा। सेवा शुल्क पर GST एवं Income Tax TDS का कटोत्रा नियमानुसार किया जावेगा।
18. शासन से बजट आवंटन प्राप्त न होने की स्थित में निविदाकार के देयको की प्रतिपूर्ति में बिलंब होता है तो ऐसी स्थित में निविदाकार फर्म को 03 माह तक निरंतर आउटसोर्स कर्मियो को मानदेय राशि का भुगतान करना अनिवार्य होगा तथा निविदाकार को इस आशय का शपथ–पत्र 1000 के स्टाम्प पेपर पर संलग्न करना अनिवार्य होगा। इस संबध में निविदाकार को 3 करोड़ का बैंक सालवेंसी सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
19. एक समान सेवा शुल्क दर की, एक से अधिक निविदायें प्राप्त होने की स्थिति में निविदा समिति के निर्णय अनुसार समान दर वाले निविदाकारो का लॉटरी अथवा निविदाकर्ता के ई–निविदा में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2022–23,2023–24 एंव 2024–25 के वार्षिक टर्नओवर के आधार पर निर्णय लिया जावेगा अथवा निविदाकर्ता का यदि वार्षिक टर्नओवर में समानता पाये जाने पर निविदाकर्ता के द्वारा ई–निविदा मे प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2023–24,2024–25 एवं 2025–26 के वार्षिक कार्य–अनुभव एवं उपलब्ध कराये गये कर्मचारियों की संख्या (कर्मचारियों अधिक होगी) के आधार पर निर्णय लिया जावेगा।
20. कलेक्टर दर पुनरीक्षण होने पर निविदाकर्ता द्वारा लिखित आवेदन देने पर कार्यालय द्वारा सक्षम स्वीकृति/अनुमोदन उपरान्त ही कलेक्टर दर पुनरीक्षित अनुसार देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जावेगा।
21. निविदाकार को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के पत्र क्रमांक/F11–1/2023/नियम/4 भोपाल दिनांक 31.03.2023 के नीति निर्देश के बिन्दु क्रमांक (7) का पालन करना अनिवार्य होगा।
22. निविदाकर्ता को अनुबंध उपरान्त आवश्यकतानुसार उच्च कुशल/कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल मानव संसाधन स्वीकृत पदानुसार निर्धारित कार्यस्थल/कार्यालय में उपलब्ध करवाने होगें, यदि समय–सीमा में उपलब्ध नहीं करवाये जाते है तो अनुबंध निरस्त कर अगले न्यूनतम दर एल–2 से अनुबंध कर कार्य करवाया जावेगा।
23. निविदाकर्ता द्वारा प्रदायित उच्च कुशल/कुशल/अर्द्धकुशल मानव संसाधन प्रशिक्षित उपलब्ध कराने होंगे यदि निर्धारित श्रेणी अनुसार प्रशिक्षित नहीं पाये जाते है तों कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया

जाता है ऐसी स्थिति में निर्धारित श्रेणी अनुसार प्रशिक्षित मानव संसाधन सात दिवस में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा।

24. ई–निविदा में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों की स्कैन कॉपी सुस्पष्ट एवं पठनीय होना चाहिए, निविदाकार को निविदा के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज का उल्लेख चेकलिस्ट में निम्नानुसार तैयार किया जावे चेक लिस्ट से अतिरिक्त संलग्न दस्तावेज स्वीकार नही किये जावेगें

क्रमांक	दस्तावेज का नाम	पेज क्रमांक...से ...तक	रिमार्क

25. निविदा के लिए EMD जो कि ऑनलाईन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। धरोहर राशि के अभाव में निविदाएं अमान्य की जावेंगी। नगद अथवा चेक किसी भी स्थिति में मान्य नही होंगे। अगर किसी निविदाकर्ता की निविदा मान्य नहीं हुई है तो ऐसी स्थिति में उपरोक्त धरोहर राशि स्वतः ही वापस हो जावेगी।
26. सफल निविदाकर्ता अनुबन्ध कराने से पूर्व ही कार्यालय से अपना प्रस्ताव वापिस लेता है अथवा नियत अवधि में अनुबंध नहीं करता है तो आदेश निरस्त कर, धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी तथा प्राप्त निविदाओं मे से अगले न्यूनतम दर एल–2 से कार्य करवाया जाएगा।
27. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत का अधिकार गठित समिति का होगा, जो सभी निविदाकारो को मान्य होगा। तकनीकि रूप से सफल निविदाकारो द्वारा प्रस्तुत वित्तीय दरो के तुलनात्मक प्रपत्र के आधार पर न्यूनतम दर वाली फर्म को आदेश जारी किया जावेगा।जिस फर्म की दरे स्वीकृत होगी उसे परफार्मेंस राशि डीडी/बैंकर चेक/एफडी के रूप में जमा करनी होगी साथ ही स्वयं के व्यय पर 1000/– रूपये के स्टाम्प पर अनुबन्ध निष्पादित कराना होगा, तत्पश्चात कार्य आदेश जारी किया जावेगा।
28. निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रदेश अथवा प्रदेश के बाहर किसी भी शासकीय/अर्ध–शासकीय संस्था अथवा केन्द्र शासित संस्था द्वारा प्रतिबंधित/ब्लैक लिस्टेड न होने का 1000 रूपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत **परिशिष्ट "द"** अनुसार करना होगा। यदि ब्लैक लिस्टेड की सूचना प्राप्त होती हैं तो प्रमाणित होने पर निविदा/अनुबंध को समाप्त कर दिया जायेगा एवं उसकी धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी, एवं अगले न्यूनतम दर एल–2 निविदाकार से कार्य कराया जावेगा।
29. पात्र व अनुबंधित निविदाकर्ता के द्वारा यदि कार्य करने मे असमर्थता या कार्य करने से मना करता है तो अनुबंधित निविदाकर्ता को ब्लैक लिस्टेड करते हुए जमा परफारमैंस राशि राजसात की जावेगी जिसके लिये निविदाकर्ता की कार्यालय द्वारा किसी भी प्रकार की कोई दावा आपत्ति मान्य नही की जावेगी।
30. प्राप्त निविदायें मान्य करने, अमान्य करने, निरस्त करने, किसी भी शर्त को शिथिल करने का पूर्ण अधिकार निविदा समिति के एक तिहाई बहुमत एवं अध्यक्ष के अनुमोदन से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा, किसी भी विवाद की स्थिति में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रीवा का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
31. निविदाकर्ता द्वारा समस्त शर्तों का पालन करते हुए, यदि कार्य संतोषजनक रहता है, तो कार्य अवधि स्वीकृत समान दरों पर आगामी निविदा के प्रभावी होने तक दोनो पक्षों की सहमति होने की दशा में वृद्धि की जा सकेगी।
32. वित्तीय अथवा प्रशासकीय कारणों से निर्मित किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र जिला रीवा न्यायालय रहेगा।
33. निविदाकर्ता को जिले के स्वास्थ्य संस्थाओं व कार्यालय में वर्तमान में कार्यरत समस्त आउटसोर्स कर्मचारी को नियुक्ति में प्राथमिकता देना अनिवार्य होगा।

34. सफल निविदाकार को विभाग द्वारा समय–समय पर आउटसोर्स कर्मी हेतु लागू किये जाने वाले ड्रेस कोड/आई कार्ड उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
35. निविदाकार को श्रमायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश शासन/स्थानीय श्रम कार्यालय/श्रम न्यायालय/राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन/संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशो/आदेशो का पालन करना अनिवार्य होगा।
36. निविदाकारों को निविदा खोले जाने के दिनांक एवं समय के पूर्व निविदा में संलग्न की गई ई.एम.डी. (धरोहर राशि) की ऑनलाइन पावती की सत्यापित एवं प्रमाणित कॉपी लेटर हेड प्रिंट कर कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा।
37. पूर्व से कार्यालय में कार्यरत एजेंसी या पूर्व में कार्य कर चुकी एजेंसी को इस आशय का शपथ पत्र 1000 के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा कि कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओं सूचना या अन्य नोटिश का विलोपन हो चुका हैं साथ ही जिले के श्रम कार्यालय या न्यायालय में कोई प्रकरण लंबित नही हैं ऐसे निविदाकार की निविदा स्वीकृत करने अथवा न करने का अधिकार निविदा समिति का होगा।
38. मध्यप्रदेश वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल क्रमांक/एफ 11–3/2024/नियम/चार/भोपाल दिनांक 31.03.2026 को प्रावधान व दिशानिर्देश का पालन अनिवार्य होगा।
39. निविदा 02 वर्ष की अवधि अथवा सक्षम आदेश द्वारा नवीन निविदा के प्रभावशील होने तक मान्य होगी निविदा अवधि में किसी भी प्रकार के मूल्य वृद्धि को मान्य नहीं किया जायेगा।
40. कार्य संतोषजनक न होने अथवा निविदाशर्तो का पालन न करने पर एक माह पूर्व नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकेगा।
41. निविदा के साथ निविदाकार के द्वारा सील एवं साइन किया गया हुआ निविदाफार्म संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(डॉ.यत्नेश त्रिपाठी)
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला रीवा म.प्र.

24.04.2026

24.4.26

घोषणा–पत्र

क्रमांक	फर्म / संस्था	विवरण
1	निविदाकर्ता फर्म / संस्था का नाम	
2	निविदाकर्ता फर्म / संस्था का पता	
3	दूरभाष कमांक / मोबाईल नं.	
4	फर्म / संस्था का ई–मेल आई.डी	
5	फर्म / संस्था का स्थापना (गुमास्ता) पंजीयन कमांक	
6	संस्था / प्रोपराईटर का पेन कार्ड नम्बर	
7	फर्म / संस्था का जी.एस.टी पंजीयन कमांक	
8	फर्म / संस्था का ई.पी.एफ कमांक (EPF No)	
9	फर्म / संस्था का ई.एस.आई.सी. कमांक (ESIC No)	
10	धरोहर राशि रू 15,00,000 / – (पंन्द्रह लाख रूपये मात्र) ऑनलाइन	
11	फर्म / संस्था का PASARA लाइसेंस	
12	फर्म / संस्था / पार्टनर / डायरेक्टर / प्रोपइटर का वैध पीबीआर	
13	श्रम विभाग द्वारा श्रम लाइसेंस	

प्रमाणित किया जाता है कि ई–निविदा शर्ते पढने एवं समझने के पश्चात् ही निविदा की आर्हताऐ कंडिकाओं को में / मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज पूर्ण रूपेण सत्य है इसमें किसी भी त्रुटि / लापरवाही / गलत जानकारी / जानकारी छिपाने अथवा सम्बंधित दस्तावेजों के ई–निविदा में संलग्न न करने पर निविदा अमान्य अथवा निरस्त की जाती है तो इसके लिये मैं / संस्था जिम्मेदार होगी।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
फर्म की सील

परिशिष्ट''स''

ANNUAL TURN OVER STATEMENT

(This certificate has to be issued by the concerned Chartered Accountant on his letter head only)

ANNUAL TURN OVER STATEMENT

The Annual Turnover of M/s...for the past three year are given below and
certified that the statement is true and correct.

Sl.No.	Financial Year	Turnover (Amount in INR)
1		
2		
3		

Total - INR

Average turnover per annual- INR

The above information is correct and true and verified from the audited final accounts

Date:

Seal:

Signature of Auditor
(Charted Accountant)
(Name is Capital)
Membership No.-....................

घोषणा पत्र(शपथ–पत्र)

(1000/–रूपये के नान–ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाये)

1. मैं/हम भारत का/के नागरिक हूँ/हैं।
2. मैं/हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार निविदा कार्य के लिए सक्षम हूँ/हैं।
3. मुझे/हमें म.प्र. शासन के किसी भी विभाग द्वारा निविदाकार्य से वहिष्कृत नही किया गया हैं।
4. मैं/हम किसी ऐसे कान्ट्रेक्टर, जो कि म.प्र.शासन के किसी विभाग द्वारा वहिष्कृत किया गया हो, न तो अभिकर्ता हूँ/है और न ही उसके लिये कार्य करता हूँ/करते हैं।
5. मेरे/हमारे द्वारा निविदा की शर्तो के अलावा अन्य कोई शर्ते प्रस्तुत नही की गयी है। यदि अन्य कोई शर्ते प्रस्तुत की गई हैं,तो उसे अमान्य माना जायें।
6. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं अन्य स्वास्थ्य संस्था के किसी अधिकारी/कर्मचारी से सीधे संबंध नही हैं।
7. हमारी संस्था के विरूध सी.बी.आई./लोकायुक्त/ई.ओ.डब्ल्यू./शासकीय कार्यालय इत्यादि में कोई जॉच लंबित नही हैं और न ही सक्षम न्यायालय में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं और न ही दण्डित किया गया हैं।
8. केन्द्र/राज्य सरकार को देय कोई भी कर मेरी संस्था/मेरे ऊपर बकाया नही हैं।
9. मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी सही हैं। असत्य पाये जाने पर मेरे विरूध विधिसम्मत कार्यवाही के किये जाने पर मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा।

गवाह के हस्ताक्षर
1.गवाह का नाम ....
पता..
2. गवाह का नाम..
पता..

आवेदक/प्रोपा. के हस्ताक्षर
संस्था के सक्षम अधिकारी का नाम..
....
पता...
संस्था का नाम एवं पता....................

स्थान :– ....
दिनांक :– ....

PRICE SCHEDULE

(This BOQ template must not be modified/replaced by the bidder and the same should be uploaded after filling the relevent columns, else the bidder is liable to be rejected for this tender. Bidders are allowed to enter the Bidder Name and Values only)

NUMBER #	TEXT #	NUMBER #	TEXT #	NUMBER #	NUMBER	NUMBER	NUMBER	NUMBER #	TEXT #
Sl. No.	Item Description	Quantity	Units	BASIC RATE Per Worker Per Month In Figures To be entered by the Bidder Rs. P	EPF Per Worker Per Month	ESIC Per Worker Per Month	Calculate Management Fees/ Service Charge Per Month Per Worker (Column No. 13) (As per Govt Rule) Rs. P.	TOTAL AMOUNT	TOTAL AMOUNT In Words
1	2	4	5	13	14	15	20	53	55
1	**Manpower Services** Management Fee/Service Charge should be Minimum 1% (0% to 0.999% shall not considered) and Maximum 10% as per committee decided								
1.01	Un Skilled	1.000	Person					0.000	INR Zero Only
1.02	Semi Skilled	1.000	Person					0.000	INR Zero Only
1.03	Skilled	1.000	Person					0.000	INR Zero Only
1.04	High Skilled	1.000	Person					0.000	INR Zero Only
Total in Figures								0.000	INR Zero Only
Quoted Rate in Words		INR Zero Only							

Signature Not Verified

Digitally signed by Yatnesh Tripathi
Date: 2026.05.12 20:47:07 IST
Location: Madhya Pradesh-MP